समाचार

30 मार्च, 06, 10 एवं 14 अप्रैल को बंद रहेगा पशुवध कार्य

कोरबा 24 मार्च 2025 – 30 मार्च 2025 को गुड़ी पड़वा, चैतीचांद, 06 अप्रैल रामनवमी, 10 अप्रैल को महावीर जयंती (जैन) एवं 14 अप्रैल को डॉ.अम्बेडकर जयंती के विशिष्ट अवसर पर नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत पशुवध कार्य व मांस बिक्री की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त वधशालाओं व पशुवधकर्ताओं को आदेश देते हुए कहा गया है कि वे 30 मार्च, 06 अप्रैल, 10 अप्रैल एवं 14 अप्रैल 2025 को किसी भी प्रकार का पशुवध कार्य न करें, मांस का विक्रय न करें तथा दुकानों को बंद रखें। यदि किसी भी दुकान में मांस का विक्रय करते पाया जाता है तो मांस जप्त कर संबंधित के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।